

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2016

विषय: उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.3.1.4 "प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उOप्रO-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर-3.3.1.4 "प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन" में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

3.3.1.4 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

- राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सूOप्रौO जनित सेवा कम्पनियों द्वारा क्वालिटी एवं आईOटीO से संबंधित सर्टिफिकेशन यथा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000, सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM) प्रमाणन में से अधिकतम 3 सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति, प्रति इकाई अधिकतम रू0 25,00,000/- अनुमन्य होगी। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इसी प्रकार के प्रमाणन को समय-समय पर अनुमन्यता के लिए सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 में प्रदत्त उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सूOप्रौO जनित सेवा कम्पनियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे:-
- 3.1 राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सूOप्रौO जनित सेवा कम्पनियों को क्वालिटी एवं आईOटीO से संबंधित सर्टिफिकेशन यथा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर, सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001, सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000, सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM) प्रमाणन में सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु लागत व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

इसी प्रकार के अन्य प्रमाणन को समय-समय पर नोडल एजेंसी के स्तर से सम्मिलित किया/हटाया जायेगा।

- 3.2 पात्र कम्पनी को अधिकतम 3 अलग-अलग सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी।
- 3.3 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कम्पनी ₹0 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख) होगी।
- 4- उपरोक्त हेतु पात्र कम्पनियों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

1 अनुदान हेतु कम्पनियों की पात्रता

- (i) राज्य में परिचालनरत ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियां जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।
- (ii) इस योजना का लाभ उन्हीं कम्पनियों को अनुमन्य होगा जिन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के प्रोत्साहन या अनुदान का लाभ न लिया हो।

2 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3 परिभाषायें

एतद्वारा संलग्न, अनुलग्नक-ब के अनुसार

4- कम्पनियों को प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया

- 4.1 प्रोत्साहन धनराशि की प्राप्ति हेतु कम्पनी द्वारा अपना आवेदन (अनुलग्नक-अ) कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था 30प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन द्वारा किया जायेगा एवं प्रोत्साहन धनराशि की स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।
 - 4.2 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा अपने आवेदन-पत्र के साथ, प्रमाणीकरण हेतु किये गये शुल्क भुगतान की सत्यापित रसीद, प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-स) संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
 - 4.3 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त कम्पनी को प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि वास्तविक आधार पर, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई ₹0 25.00 लाख होगी, अवमुक्त की जायेगी।
- 5- न्यायालय का क्षेत्राधिकार
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छिपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही कम्पनी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव।

संख्या-807(1)/78-1-2016 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री 30प्र०।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र०।
- 5- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 6- निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र० शासन।
- 8- निजी सचिव, विशेष सचिव(भू/एन), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, 30प्र० शासन।
- 9- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)

अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए
आवरण-पत्र
(आवेदक कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

कार्यदायी संस्था
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय: उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की
माँग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्वारा अपना आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-अ) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की माँग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि आवेदक कम्पनी उत्तर प्रदेश में कार्यरत है जिसका पता है। आवेदक द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपनी कम्पनी की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

तिथि:

सम्बन्धित कम्पनी के स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध
निदेशक / निदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

राज्य में परिचालनरत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन

कम्पनी का विवरण

कम्पनी का नाम :

कम्पनी के मुख्यालय का पता :

पिन कोड

दूरभाष / मोबाइल नं०

ई-मेल

कम्पनी की उत्तर प्रदेश इकाई का पता :

पिन कोड

दूरभाष / मोबाइल नं०

ई-मेल

सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का विवरण :
(नाम, पदनाम एवं मोबाइल नं०)

प्रमाण-पत्र का विवरण - कृपया (√) करें

: कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (CMM) ☐

स्तर 2 एवं उच्चतर

सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) ☐

27001,

सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए ☐

आईएसओ (ISO) 20000

सी.ओ.पी.सी. (COPC) ☐

ई.एस.सी.एम (eSCM) ☐

अन्य (कृपया स्पष्ट करें) ☐

प्रमाणीकरण हेतु आवेदन की तिथि :

प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाली संस्था(ओं) का :
नाम एवं पता

पिन कोड

दूरभाष / मोबाइल नं०

ई-मेल

कम्पनी को निर्गत प्रमाणपत्र का कर्मोक्त एवं :
तिथि

प्रमाणीकरण पर निहित कुल लागत :

योजना के अन्तर्गत आवेदित प्रोत्साहन राशि :

टिप्पणी:प्रमाण-पत्र तथा प्रमाणीकरण संस्थाओं की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करते हुए प्रासंगिक सूचनायें प्रदर्शित करें।

तिथि:

सम्बन्धित कम्पनी के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध
निदेशक/तिदेशक का हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी:

- 1 पात्र कम्पनी को अधिकतम 3 अलग-अलग सर्टिफिकेशन की सफल प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन धनराशि अनुमन्य होगी।
- 2 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन धनराशि की अधिकतम सीमा प्रति कम्पनी रु 25,00,000/- होगी।
- 3 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु किये गये शुल्क भुगतान रसीद की सत्यापित रसीद, प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति, एवँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-स) संलग्न करें।
- 4 उत्तर प्रदेश में कम्पनी/इकाई के पते का प्रमाण

अनुलग्नक-ब

(सन्दर्भ: शासनादेश संख्या दिनांक)

परिभाषाएँ

- 1 "कम्पनी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।
- 2 "सोसायटी" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया हो।
- 3 "पार्टनरशिप" से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।
- 4 "वर्ष का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
- 5 "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों/ कम्पनियों इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है 'सू0प्रौ0 एप्लीकेशन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/के0पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/ 'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।
- 6 **सॉफ्टवेयर सेवाओं में निहित है :-**
 - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
 - प्रचालन विधि - Operating System
 - 'मिडिलवेयर' / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
 - उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
 - इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
 - प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
 - सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवं Supply Chain Management कार्य
 - विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)
- 7 **'सूचना प्रौद्योगिकी' - का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।**
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:-
 - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
 - इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
 - ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
 - विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
 - ई-कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
 - इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरफेस (EDI) सेवाएँ

- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी-सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

8 सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसकिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल-सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:-

- बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैंक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम से प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation), नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:-
 - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
 - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
 - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
 - एम0आर0एम0 – (Marketing Resources Management)
 - तकनीकी सहायता (Technical Support)
 - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
 - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
 - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेन्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेन्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं, भी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

- 9 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।
- 10 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/ नोडल एजेन्सी से है।
- 11 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

प्रमाणीकरण पर हुए व्यय का, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

आवेदक – सर्वश्री के पंजीकृत कार्यालय
 तथा कार्यशाला पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं
 अभिलेखों के अनुसार आवेदक द्वारा प्रमाणन-अभिकरण(ों)/संस्था(ओं) से कैपेबिलिटी मैच्योरिटी
 मॉडल (CMM) स्तर 2 एवं उच्चतर/ सुरक्षा के लिए आईएसओ (ISO) 27001/सेवा प्रबंधन
 शब्दावली के लिए आईएसओ (ISO) 20000/ सी.ओ.पी.सी (COPC), ई.एस.सी.एम (eSCM)*
 प्रमाणन की प्राप्ति के सम्बन्ध में कुल धनराशि रु (रूपये)
 मात्र का व्यय हुआ है। उक्त व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	व्यय का विवरण	प्रमाणन-अभिकरण/संस्था	धनराशि (रु)	अभ्युक्ति
	प्रमाणन कार्यालय शुल्क आवेदन शुल्क (भारत/ विदेश)			
		योग		

स्थान:
तिथि:

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का हस्ताक्षर
एवं मुहर

* जो लागू न हो उसे काट दें।